

उन्नाव कांड : भाजपा विधायक सेंगर के खिलाफ आरोपपत्र

लखनऊ, 11 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उनके आवास पर एक किशोरी से कथित बलात्कार के मामले में बुधवार को आरोपपत्र दायर किया। यह जानकारी यहां अधिकारियों ने दी।

यहां एक विशेष सीबीआइ अदालत में दायर आरोपपत्र में सेंगर और उसके सहयोगी शशि सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। उन पर पोक्सो कानून की धारा तीन और चार के तहत भी आरोप लगाए गए हैं जो कि नाबालिगों से संबंधित है। नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार की जांच तीन महीने पहले सीबीआइ को सौंपी गई थी। अधिकारियों ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने पाया कि नाबालिग लड़की से विधायक के आवास पर 4 जून, 2017 को रात आठ बजे बलात्कार किया गया जहां उसे शशि सिंह लेकर

विशेष सीबीआइ अदालत में दायर आरोपपत्र में सेंगर और उसके सहयोगी शशि सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। उन पर पोक्सो कानून की धारा तीन और चार के तहत भी आरोप लगाए गए हैं जो कि नाबालिगों से बलात्कार से संबंधित है

गया था। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उसके बाद लड़की से 11 जून और 20 जून 2017 के बीच अलग अलग समूह के आरोपियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया जिसकी जांच भी सीबीआइ द्वारा की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने विधायक द्वारा कथित बलात्कार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी जो चार जून को हुआ था। उन्होंने समूहिक बलात्कार के संबंध में ही एक प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने

कहा कि चिकित्सकों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका की अभी भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विधायक ने उससे बलात्कार किया था। चार बार के विधायक व उत्तर प्रदेश विधानसभा में बांगरपूल का प्रतिनिधित्व करने वाले सेंगर को 13 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मामला उस समय प्रकाश में आया जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर कथित रूप से आत्मदाह का प्रयास किया।

लड़की के पिता की मृत्यु से पहले का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे विधायक के भाई और अन्य द्वारा पुलिस की मौजूदगी में निर्दयतापूर्वक पीटा गया और उस पर राइफल के बट से हमला किया गया। मामले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसने इस सवाल अप्रैल में सीबीआइ जांच की सिफरिश की।

कचरा इकाई का निरीक्षण करें : पंचाट

जनसता ब्यूरो

नई दिल्ली, 11 जुलाई।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है कि मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) में लगी माइक्रोवेव कचरा शोधन इकाई का दो हफ्ते के अंदर निरीक्षण करें। एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल का अध्यक्षता वाली पीठ ने पूवई दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित संस्थान में कचरा शोधन इकाई की क्षमता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अपर्याप्त बताते के बाद यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा-डीपीसीबी नियमों के तहत उपकरणों के कामकाज की निगरानी कराग।

अधिकारियों ने निराना गांव जाकर पीड़ितों को सुरक्षा का भरोसा दिया

मुजफ्फरनगर, 11 जुलाई (जनसत्ता)।

जिलाधिकारी राजीव शर्मा व विरष्ट पुलिस अधीक्षक अनंतदेव तिवारी सिखेडा थाना क्षेत्र के ग्राम निराना पहुंचे और पीड़ितों को पूर्ण सुरक्षा और हमलावरों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। निराना गांव पिछले दिनों कुछ परिवारों के पलायन करने को लेकर चर्चाओं में आया था।

चरिष्ट पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़ित भयमुक्त होकर रहे किसी का भी उपीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष की तत्काल

गिरफ्तारी के लिए संबंधितों को निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस प्रशासन उनके साथ है। उन्होंने निराना ग्राम प्रधान इस्त्कार को भी सचेत किया कि वे पूरे गांव के प्रधान है न कि किसी एक वर्ग के।

उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर चले और हर कीमत पर गांव में शांति और सौहार्द का वातावरण कायम रखे और निष्पक्ष रहे। जिलाधिकारी राजीव शर्मा व चरिष्ट पुलिस अधीक्षक अनंतदेव तिवारी ग्राम निराना में एसपी सिटी आमबीर सिंह के साथ पूरे ग्राम का दौरा किया और पीड़ित पक्ष के लोगों से मिले। उन्हें पूर्ण

हाई कोर्ट ने पर्यावरणविद सानंद को रिहा करने का निर्देश दिया

नैनीताल, 11 जुलाई (भाषा)।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आइआइटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर से संन्यासी बने ज्ञान स्वरूप सानंद को 12 घंटे के भीतर रिहा करने और गंगा पर पनबिजली परियोजना के निर्माण को रोकने की उनकी मांग की तात्किकता पर विचार करने का बुधवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह के खंडपीठ ने उस स्थान का खुलासा करने को कहा, जहां सानंद को रखा गया है। पीठ ने 12 घंटे के भीतर मुख्य सचिव और संन्यासी की बैठक कराने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा, स्वामी ज्ञान स्वरूप की सुरक्षा के लिए गुप्त विभाग के प्रधान सचिव जिम्मेदार होंगे। उन्हें चिकित्सा जांच के लिए ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराइए और अगर उनके उपचार की जरूरत है तो उसका खर्च सरकार वहन करेगी, अन्यथा सानंद को मैत्री सदन वापस भेजा जाए। हरिद्वार स्थित मैत्री सदन में 22 जून से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे सानंद की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस मंगलवार को उन्हें बलपूर्वक किसी अज्ञात स्थान पर ले गई थी।

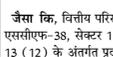
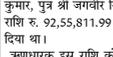
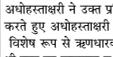
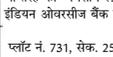
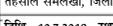
आइएस अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर उठाया सवाल

श्रीनगर , 11 जुलाई (भाषा)।

आइएस अधिकार शाह फैजल अपने ‘रेपीस्तान’ टवीट को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। शरहे ने कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए बुधवार को पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे समाज के नैतिक सवालों से स्वयं को पूरी तरह से अलग रखें क्योंकि किसी भी चीज को आलोचना से समझा जा सकता है। 2010 बैच के आइएसएस अधिकारी फैजल इस समय अवकाश लेकर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश भारत में ‘अंतरात्मा की स्वतंत्रता’ को दबाने के लिए ‘औपनिवेशिक भावना’ वाला सेवा नियम लगाया जा रहा है।

फैजल ने अपने खिलाफ शुक्र की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर किए गए टवीट का जवाब

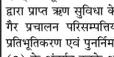
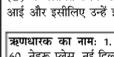
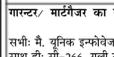
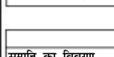
देते हुए कहा, यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी कर्मचारियों से कहा जा सकता है कि वे समाज के नैतिक सवालों से अलग रहें और चुप रहें क्योंकि किसी भी चीज को सरकार की नीति की आलोचना के तौर पर देखा जा सकता है ?

	इंडियन ओवरसीज बैंक एससीएफ-38, सेक्टर-11-12, हुडा, पानीपत, फोन: 0180-2670285, 2660532, ई-मेल: iob.1297@iob.in
	(परिशिष्ट IV - नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक, पानीपत शाखा, एससीएफ-38, सेक्टर-11-12, हुडा, पानीपत के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधरत्नाक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.5.2018 जार की अथवा अथवा: सनराइज ट्रांस इंडिया, प्राप, संजय कुमार, पुत्र श्री जगवीर सिंह, निवासी ग्राम मछरीली, तहसील समलखा, जिला पानीपत को उन सूचना की प्रतिलिपि भेजने के लिये निम्नलिखित सूचना में बर्णित किया है. 92,55,811.99 + 8.5.2018 से अडेविटिड ब्याज (रुपये बानबे लाख पचचन हजार आठ सौ प्याार तथा पैसे निम्नानुवै मात्र) वासस लीटनेका का निर्देश दिया है।
	अध्यापक इरा राशि को वापस लीटनेने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा अध्यापक तथा अपना जनता को सूचित किया जाता है कि आज 10 जुलाई, 2018 को अयोधरत्नाक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन निम्नमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधरत्नाक्षरी ने यहां नीचे बर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
	विशेष रूप से अध्यापकों ने तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे बर्णित संपत्ति का व्यवधान न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय र. 92,55,811.99 + 8.5.2018 से अडेविटिड ब्याज (रुपये बानबे लाख पचचन हजार आठ सौ प्याार तथा पैसे निम्नानुवै मात्र) के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
	अचल संपत्ति का विवरण प्लॉट नं. 731, सेक. 25, पार्ट-2, इंडियनवैव वर्कर्स हुडा 'ब डेवलपमेंट', पानीपत 132103 में स्थित श्री संदीप कुमार पुत्र श्री जगवीर सिंह, निवासी ग्राम मछरीली, तहसील समलखा, जिला पानीपत के स्वामित्व में भूमि एवं पवन का सभी भाग तथा हिरसा।
	प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

राष्ट्र

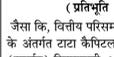
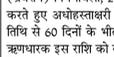
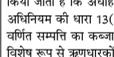
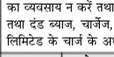
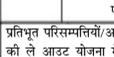
माओवाद प्रभावित जिले में पुल का उद्घाटन करेंगे
पटनायक
के शहरों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा।

<p>MERGER OF BRANCH</p>
<p>Due to administrative exigencies, it has been decided to close our Delhi Gujranwala Town Branch (3026) and merge it with Delhi Derawal Nagar Branch (3027) with effect from 10.10.2018. The combined branch shall be functioning at the following address.</p> <p>Muthoot Finance Ltd.</p> <p>Address: Ground Floor, B-10, Derawal Nagar, Delhi - 110009</p> <p>Phone No.: 011-27322270/71/72</p> <p>Mail: mgder3027@muthootgroup.com</p> <p>We solicit your committed patronage and support.</p>

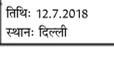
	विशेष प्रचालन विभाग, II ग तल, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 <i>We understand your needs</i>
	सर्कसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना का प्रकाशन एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे बर्णित अध्यापक(कीं) गान्धर्व(सी), मार्टीनेज(सी) ने बैंक से उनके द्वारा मांग क्त सूचिया के मूलन तथा ब्याज को वापस लीटनेने में चुक की है तथा उनकी क्जा खाताओं को रद्द प्रचालन परिसम्पत्तियों (एम्पसीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सर्कसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत उन्हे अतिरिक्त ज्ञाप वने पर सूचना जारी की गई हैकिन वह उन्हे प्राप्त हुए विना वापस लीट आई और इस्तिएत उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।
	अध्यापक का नाम: 1. मै. युक्ति इम्कोवेर पी.लिट. द्वारा उनके क्लिरेटकों 308, आा तल, स्कॉलार्सक बिल्डिंग, 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
	गान्धर्व/ मार्टीनेज का नाम: 2. श्री दिग्वलु जैन, 3. सुशी उपा जैन, 4. श्री गोपेन्द्र कुमार जैन, 5. सुधी मीनाश्री जैन
	सभी: मै. युक्ति इम्कोवेर पी. लि. 308, आा तल, स्कॉलार्सक बिल्डिंग, 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 साथ ही: सी-266, गली नं. 8, आदर्श नगर, नई दिल्ली

अचल सम्पत्तियों का विवरण	सम्पत्ति के स्वामी
सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति के स्वामी
बैंक में प्रदत्त स्टॉक तथा बचु डेपॉजिट सहित सभी चालू परिसम्पत्तियों में, युक्ति इम्कोवेर पी.लि. पर प्रथम तथा एकाकी प्रभार द्वारा हाइपोथेकेशन	
अचल सम्पत्ति का विवरण	स्वामित्व
क्रम सं. सम्पत्ति का विवरण	स्वामित्व
1. सी-266, गली नं. 8, आदर्श नगर, नई दिल्ली में सम्पत्ति	श्री गोपेन्द्र कुमार जैन
सूचना की तिथि: 28 जून, 2018	एम्पसीए की तिथि: 01.05.2017
बकाया राशि (31.5.2018 तक): र. 24,51,90,625.71 (रुपये चौबीस करोड़ इक्कवन लाख नवसे हजार छः सौ पचास तथा पैसे इकसत्र मात्र) तथा 01.06.2018 से 18% की दर पर ब्याज की राशि बकाया तथा आपके द्वारा देय है।	
उपरोक्त: अध्यापकों एवं/अथवा उनके गान्धर्व/ मार्टीनेजों को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन का तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाय राशि का भुगतान करें, अन्यथा सर्कसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे को कार्रवाई की जाएगी।	
एवडीएफसी बैंक लि. के लिए हस्ता./- नीज महाजन, प्राधिकृत अधिकारी	
तिथि: 12.7.2018	
स्थान: दिल्ली	

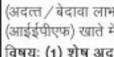
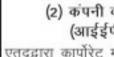
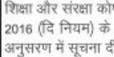
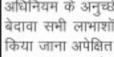
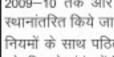
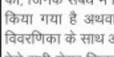
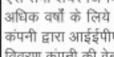
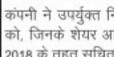
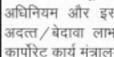
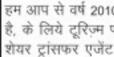
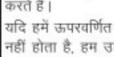
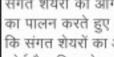
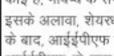
	टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सम्पर्क: 7वीं तल, फिडिकोनिन इमारत, इण्डियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, नई दिल्ली-110055 सम्पर्क सं: 91 9250 00963
	पंजीकृत कार्यालय: 11वां तल, टाटा ए, फिनिसियल बिकरोस मार्ग, गानगावर कदम मार्ग, लोअर पल्ल, मुम्बई- 400013, CIN No. U67190MH12008PLC187552

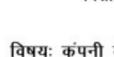
	कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार)
	जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधरत्नाक्षरी ने मांग सूचना नीचे बर्णित रूप में जारी कर अध्यापकों को सूचना की प्रतिलिपि भेजने के लिये निम्नलिखित सूचना में बर्णित किया गया है।
	अध्यापक इरा राशि को वापस लीटनेने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा अध्यापक, तथा अपना जनता को सूचित किया जाता है कि अयोधरत्नाक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधरत्नाक्षरी ने यहां नीचे बर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
	विशेष रूप से अध्यापकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे बर्णित सम्पत्ति का व्यवधान न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवधान मांग सूचना तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जज, लागत आदि के साथ नीचे बर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
	क्रम खाता सं. देनदार/ सांविधिक उपराधिकारी/ सांविधिक प्राधिकरि (बो) का नाम मांग सूचना के अनुसार राशि कब्जा की तिथि
	4706498 दिनेश कुमार मुदानल (अध्यापक) एवं अनंतिा नीतम वंदे देवगुु पुरुषोत्तमस प्रा.लि. (सह-अध्यापक) र. 2,42,63,198/- 22 जनवरी, 2018 को 5.7.2018

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/गिर्वासी सम्पत्तियों का विवरण: डी.ए.टी. सीएचवीएस लिमिटेड की ले आउट योजना में ब्लॉक नं. ए में प्लॉट नं. 33 पर निर्मित प्लॉट, माप 160 वर्ग यार्ड्स में अनुचित रूप में तथा प्लॉट से संबंधित अन्य अधिकारों के साथ वेस्टेन्ट, 2रा तल तथा आा तल, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 के साथ प्लॉट ई-33, चौकड़ी: उन्नत: प्लॉट नं. 34, पूरव: सर्विस लेन, दक्षिण: प्लॉट नं. 32, पश्चिम: 30 फीट चौड़ी सड़क जिबका विशेष रूप से विवरण सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्ट्रेट्सके के पास दर्ताबन्ध नं. 1071, (बुक नं. 1, जॉर्जटून नं. 21, पृष्ठ नं. 186-188 के रूप में पंजीकृत कर्नलनियम डीड तिथि चौबीस (24) जुलाई उन्नीस सौ सत्तानवें में दिया गया है।

	हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 12.7.2018	टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
स्थान: दिल्ली	

	दूरिज्ज फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआरएफ: L659190DL1989PLC034812)
	पंजीकृत कार्यालय: चौथा तल, टॉवर 1, एनबीसीसी जेम्स, सेक्टर-V, पुणे विहार, साईबन, नई दिल्ली-110017, फोन: 011-29561180, फैक्स: 011-29561171 ईमेल: complianceofficer@fcitltd.com , वेबसाइट: www.fcitltd.com

	शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है। (अदल्ट/ बेदावा लामांश और कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोप (आईईपीएफ) खाते में स्थानांतरण)
	विषय: (1) शेष अदल्ट/ बेदावा लामांशों का दावा करने के लिये स्मरण पत्र। (2) कंपनी को बेदावा इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोप (आईईपीएफ) खाते में स्थानांतरण
	एतद्द्वारा कार्पोरेट मामले मंत्रालय (एम्पसीए), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोप प्राधिकरण (लेखाकां, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफंड) नियम, 2016 (दिए नियम) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (दिए अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसारण में सूचना दी जाती है।
	अधिनियम के अनुच्छेद 124(6) के अनुसार, सात वर्ष की अवधि के लिये शेष अदल्ट या बेदावा सभी लामांशों को निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोप (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम और इसके नियमों में अनिष्ट यथापेक्षित तिथियां वर्ष 2009-10 तक और इसके सहित अदल्ट या बेदावा लामांश पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित किये जा चुके हैं।
	ऐसे सभी शेयर धिनके संबंध में 2009-10 तक और इसके सहित पिछले लगतातर सात या अधिक वर्षों के लिये लामांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा बेदावा हैं वे इनके ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ के नाम में स्थानांतरित कर दिये गये हैं और यथा निर्धारित विवरणों की विवरणक कंपनी की वेबसाइट www.fcitltd.com पर डाल दिये गये हैं।
	कंपनी ने उपर्युक्त नियमों के अधीन उचित कार्रवाई करने के लिये संबंधित शेयरधारकों को, जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं, पत्र दिनांक 4 जुलाई, 2018 के तहत सूचित कर दिया है।
	अधिनियम और इसके तहत बनगये गये नियमों के अधीन यथापेक्षित कंपनी के अदल्ट/बेदावा लामांशों के पूर्ण विवरण इसकी वेबसाइट www.fcitltd.com और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम्पसीए), भारत सरकार की वेबसाइट पर डाल दिये गये हैं।
	हम आप से वर्ष 2010-11 से आगे के आप द्वारा शेष अदल्ट/ बेदावा लामांशों, यदि कोई है, के लिये दूरिज्ज फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास तत्काल आवेदन दायर करते हुए दावा करने का अनुरोध करते हैं।
	यदि हमें उपर्यर्णित लामांशों के लिये आपका 15 सितंबर, 2018 तक कोई डावा प्राण नहीं होता है, हम उक्त अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं के अनुसारण के दृष्टिकरण संमत शेयरों को आगे कोई सूचना दिये बगैर इस संबंध में नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आईईपीएफ में स्थानांतरण कर देंगे। शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि सार्वजनिक शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरण हो जाने पर अवधि में लामांश सहित, यदि कोई है, परिवर्ध के सभी लामों को आईईपीएफ में जमा कर दिया जायेगा।
	इसके अलावा, शेयरधारक कृपया नोट लें कि आप वर्णित स्थानांतरण कर दिये जाने के बाद, आईईपीएफ से रिफंडों का दावा उक्त नियमों के प्रावधानों की अनुपालना में केवल आईईपीएफ के पास किया जा सकता है। कृपया नोट कर लें कि बेदावा लामांशों और नियमों के अनुसारण में आईईपीएफ को स्थानांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहेगा।
	यदि शेयरधारकों के पास विवरण मामले में कोई प्रमाण है तो वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं (अथवा ई-मेल कर complianceofficer@fcitltd.com) अथवा हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एफ: 2, मनीएसएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड मुम्बई टाीएफसीआईओ लिमि, प्रथम तल, एफ-65 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फंस-1, नई दिल्ली-110020) फोन: 011-41406149/51/51 पर संपर्क करे अथवा इस पते पर ई-मेल करे admin@mcseregistrars.com अथवा helpdeskdsltd@mcseregistrars.com
	कृते दूरिज्ज फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हस्ता./- संजय आहुजा कंपनी सचिव
	स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 11 जुलाई, 2018

	न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सीआरएन: L74899DL1989PLC034594
	पंजीकृत कार्यालय: 33-35 त्यागराज मार्केट, नई दिल्ली-110003 टेलीफोन नं.: +91-120-4031400; फैक्स: +91-120-4031672 ई-मेल: investorrelations@nucleussoftware.com वेबसाइट: www.nucleussoftware.com
	सूचना

विषय: कंपनी के समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को हस्तांतरण

एतद् द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) संशोधन नियम, 2016 (नियम), जो कि कॉर्पोरेट मामलों मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, यथा समय यथा संशोधित, के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है।

अधिनियम एवं नियम में, अन्य मामलों के साथ, गैर दावाकृत लामांशों के आईईपीएफ को हस्तांतरण का प्रावधान शामिल है, तथा आईपीएफ खाते में अंशों का हस्तांतरण जिनके सम्बन्ध में लगातार सात अथवा अधिक वर्षों से लामांश गैर दावाकृत है।

कंपनी ने संबंधित अंशधारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत संचार भेजा है जिनके अंश आईईपीएफ में स्थानांतरित करने हेतु संभाव्य हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.nucleussoftware.com पर भी संबंधित अंशधारकों का पूर्ण विवरण अपलोड किया है जिनके हस्तांश लगातार सात वर्षों से गैर दावाकृत हैं और जिनके अंश आईईपीएफ में लामांशों हेतु निश्चित हैं।

यदि 31 जुलाई 2018 तक संबंधित अंशधारकों द्वारा लामांश का दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी द्वारा संबंधित अंशधारकों द्वारा धारित अंशों को, बिना किसी अगली सूचना के, आईईपीएफ को हस्तांतरण हेतु निम्नलिखित तौर पर आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

आपके द्वारा भौतिक तौर पर धारित अंशों के मामले में:

आवश्यक औपचारिकाओं को पूरा करने के पश्चात् नया अंश प्रमाण पत्र(ओं) को जारी किया जाएगा तथा आईईपीएफ के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, मूल अंश प्रमाण पत्र जो दावा करने पर पंजीकृत है, को रद्द माना जाएगा एवं अपक्राम्य माना जाएगा।

आपके द्वारा डीमैट तौर पर धारित अंशों के मामले में:
कंपनी कार्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से